

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100381

दिनांक: 05/12/2025

लोक सूचना

श्री **AMRISH SHARMA** पुत्र श्री **GHASI RAM** जाति **BRAHMAN** निवासी **50 PANCHWATI NAGAR, GHASI BABA KI DHANI, KESHOPURA, JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	केशोपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) अमरीश शर्मा पुत्र घासी राम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण मकान संख्या 50 कॉलोनी पंचवटी नगर क्षेत्र / स्थान घासी बाबा की ढाणी केशोपुरा शहर जयपुर पिन कोड 302026 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	1150/1144	0.13	0.13
कुल					0.13

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Jaipur Development Authority (JDA)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **05-12-2025** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & JAGRUK TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07

